124

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा (म.प्र.

निग. /2947/III/15

20रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA Rs.20 बीस रुपये TWENTY RUPEES

रु. 20/-

307
12.8.15

1. रामलखन अहिर तनय श्री मनबोध अहिर निवासी ग्राम सतनरा पवाई तहसील गोपदबन जिला सीधी (म.प्र.)
2. रामलछन अहिर तनय श्री मनबोध अहिर निवासी ग्राम सतनरा पवाई तहसील गोपदबना जिला सीधी (म.प्र.)

................................**आवेदक / निगरानीकर्तागण**

बनाम

1. शासन म.प्र.।
2. अजीत यादव तनय मनबहोर यादव निवासी ग्राम सतनरा पवाई तहसील गोपदबनास जिल सीधी (म.प्र.)

.......................**अनावेदक / गैरनिगरानीकर्ताण**

अजय पाण्डेय
12.8.15

निगरानी विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गोपद बनास जिला सीधी द्वारा प्रकरण क्र. 26 अ/74,2014–15 में पारित आदेश दिनांक 27.07.2015

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता

मान्यवर,

निम्नलिखित आधारों पर निगरानी प्रस्तुत है :–

1. यह कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत तथा क्षेत्रांधिकार में न होने के कारण स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।
2. यह कि अधिनस्थ न्यायालय में गैर निगरानीकर्ता क्र. 2 द्वारा बिना निगरानीकर्तागण को पक्षकार बनाये ग्राम सतनरा पवाई पटवारी हल्का सतनरा पवाई राजस्व निरीक्षण मंडल सीधी गिर्द तहसील गोपद बनास जिला सीधी स्थित भूमि क्र. 176,177, 178 का नक्शा सुधार किये जाने का आवेदन धारा 89 म.प्र. भू–राजस्व संहिता के तहत प्रस्तुत किया, जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत कर अलोच्य आदेश को निरस्त किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है।
3. यह कि नक्शा सुधार का प्रकरण की सुनवाई की अधिकारिता धारा 107 म.प्र. भू–राजस्व संहिता के तहत कलेक्टर या अपर कलेक्टर को है। अनुविभागीय अधिकारी को नक्शा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग—अ

प्रकरण क्रमांक 2947—दो/2015 निगरानी जिला सीधी

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
11-8-17	यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, गोपद बनास जिला सीधी के प्रकरण क्रमांक 26अ–74/2014–15 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 27–7–15 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने जा चुके है। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन करने पर स्थिति यह है कि अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास ने मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 89 के अंतर्गत नक्शा सुधार का आदेश दिया है, जिसके विरूद्ध प्रथम अपील कलेक्टर को होगी। सीधे राजस्व मण्डल में प्रस्तुत निगरानी प्रचलन–योग्य न पाये जाने से अमान्य की जाती है। आवेदकगण इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि सहित सक्षम न्यायालय में अपील करने हेतु स्वतंत्र हैं। सदस्य	